

**आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।
माह मार्च-2018**

क्र० सं०	काण्ड संख्या एवं तिथि	संबंधित विभाग/कार्यालय	अभियुक्तों के नाम एवं पद
	1	2	3
1	भ्र०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना काण्ड सं०-02/18 दिनांक-10.01.18, धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग टैप्प केस। 5000/-	1. श्री योगेशर सिंह, पिता-स्व० गुनी सिंह, ग्राम-गुरुआडीह, थाना-मयूरहंट जिला-चतरा 2. श्री कृष्णा सिंह, पिता-श्री प्रयाग सिंह, ग्राम-वरदेवा, जिला- हजारीबाग दोनों सर्वे अमीन, प्रखण्ड हंटरगंज, जिला-चतरा। आरोप पत्र सं०-04/18 दिनांक-09.03.18
2	भ्र०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना काण्ड सं०-01/18 दिनांक-08.01.18 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग टैप्प केस। 10000/-	श्री राजेन्द्र दांगी, पे०-प्रबील दांगी, सा०\$थाना-पत्थलगडडा, जिला-चतरा, सम्प्रति अमीन, ग्राम\$पो०-पत्थलगड, जिला-चतरा। आरोप पत्र सं०-10/18 दिनांक-13.03.18
3	भ्र०नि० ब्यूरो, दुमका थाना काण्ड सं०-01/18 दिनांक-23.01.18 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग टैप्प केस। 5000/-	बिरेन्द्र कुमार, पिता-स्व० विष्वनाथ राम, ग्राम-बरमसिया, म्बेडकर नगर, थाना-नगर, जिला-देवघर, वर्तमान पंचायत सेवक, मंडलडीह पंचायत, प्रखण्ड\$थाना-सरैयाहाट, जिला-दुमका। आरोप पत्र सं०-04/18, दिनांक-16.03.18
4	भ्र०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-01/18, दिनांक-24.01.2018 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग टैप्प केस। 2000/-	शुभम कमल पिता-स्व० कमल कृष्ण दास, सा०-कोरियासा, थाना-कुण्डा, जिला-देवघर, वर्तमान पता-लिपिक खरौंधी ब्लॉक, जिला-गढ़वा बड़ा बाबु प्रखण्ड कार्यालय खरौंधी, जिला-गढ़वा। आरोप पत्र सं०-03/18 दिनांक-23.03.18

5	<p>अधिनियम 0 ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-02/18 दिनांक-31.01.2018 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) अधिनियम 0 अधिनियम 0-1988</p>	<p>राजस्व विभाग टैक्स केस। 3,000/-</p>	<p>श्री ओम प्रकाश, पिता-मोहन प्रसाद, सा०पो० थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार वर्तमान राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय बरवाडीह, जिला- लातेहार। आरोप पत्र सं०-04/18 दिनांक-27.03.18</p>
6	<p>अधिनियम 0 ब्यूरो जमशेदपुर थाना कांड सं०-01/18, दिनांक-29.01.2018 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) अधिनियम 0 अधिनियम 0-1988</p>	<p>राजस्व विभाग टैक्स केस। 2500/-</p>	<p>श्री शंकर राम (उम्र-50 वर्ष), पिता-स्व० राम प्रसाद, ग्राम-छोटीकोल, पोस्ट-बड़ीकोल, थाना-अमरपुर, जिला-बाँका बिहार, वर्तमान राजस्व कर्मचारी, हल्का नं०-3 बहरागोड़ा अंचल, पूर्वी सिंहभूम । आरोप पत्र सं०-02/18 दिनांक-27.03.18</p>
7	<p>अधिनियम 0 ब्यूरो जमशेदपुर थाना कांड सं०-02/18 दिनांक-31.01.2018 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1) (डी) अधिनियम 0 अधिनियम 0-1988</p>	<p>टैक्स केस। 1000/-</p>	<p>1. प्राथमिकी अभियुक्त श्री नागेश्वर बिरूवा (उम्र-39 वर्ष), पिता-स्व० राम किशन बिरूवा, ग्राम-महुलसाई, थाना-मुफ्फसिल चाईबासा, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा, अस्थायी लिपिक, जिला अवर निबंधक कार्यालय प० सिंहभूम चाईबासा। 2. श्री शशीकांत राम, पिता-स्व० गोबर्धन राम, सा०-मोची साई, चाईबासा, थाना-मुफ्फसिल चाईबासा, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा, जिला अवर निबंधक कार्यालय प० सिंहभूम चाईबासा में अस्थायी कार्यरत। दोनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं०-03/18 दिनांक-27.03.18</p>